

कार्यालय

## मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक

### छिंदवाड़ा वनवृत्त, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश – 480001

Email-cfchhindwara@mpforest.org

Tel./Fax No.07162-245470

कमांक / मा.चि. / 1510

छिंदवाड़ा, दिनांक 23.11.2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,

(भू-प्रबंध)

सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल

विषय:- छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत शासन की एडीबी-6/7 योजना अंतर्गत स्वीकृत (हरई से बिजोरी मार्ग, राज्य मार्ग कमांक 41) कुल लंबाई 72.73 कि.मी के उन्नयन कार्य में प्रयुक्त होने वाली 6.372 है. वन भूमि के संबंध में प्रस्ताव कमांक /FP/MP/road/124534/2021

संदर्भ:- 1. आपका कार्यालयीन पृ. कमांक 3105 दिनांक 12.07.23

2. वनमंडलाधिकारी पूर्व छिंदवाड़ा का पत्र कमांक 2722 दिनांक 16.11.2023

—000—

निवेदन है कि विषयान्तर्गत प्रकरण में संदर्भित पत्र कमांक 1 से भारत सरकार द्वारा चाही गयी आवेदक से 8 बिंदुओं की जानकारी एवं जिसमे से बिंदु कमांक 5 की वनमंडलाधिकारी से चाही गयी जानकारी संदर्भित पत्र कमांक 2 से प्राप्त कर संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

पृ.कमांक / मा.चि. / 1511

प्रतिलिपि:- 1. वनमंडलाधिकारी पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2. संभागीय प्रबंधक एम.पी.आर.डी.सी. छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनसंरक्षक  
छिंदवाड़ा वनवृत्त

छिंदवाड़ा, दिनांक 23.11.2023

वनसंरक्षक  
छिंदवाड़ा वनवृत्त

# कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

E-mail ID :: dfotechwara@mp.gov.in

P.- (07162)243457, Fax.(07162)242267

क्रमांक/तकनीकी/2023/2722

छिंदवाड़ा, दिनांक/ 16-11-23

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(भू-प्रबंध)  
वन भवन ओपाल म.प्र.

विषय :— छिंदवाड़ा जिले में ए.डी.बी. -6/7 योजना के अंतर्गत हर्रई – बिजोरी मार्ग (राज्य मार्ग क्रमांक-41) उन्नयन / निर्माण हेतु 6.372 हेक्टेयर वनभूमि मध्य प्रदेश सङ्क विकास निगम, छिंदवाड़ा को उपयोग पर देने बाबत। (ऑन लाइन प्रकरण क्रमांक /FP/MP/Road/124534/2021)

संदर्भ :— आपका पत्र पृष्ठांकन क्रमांक /एफ-5/1140/2022/10-11/3105 दिनांक 12.07.2023 एवं संभागीय प्रबंधक म.प्र. सङ्क विकास निगम छिंदवाड़ा का पत्र क्रमांक 301 दिनांक 19.07.2023।

—000—

निवेदन है कि, विषयाकृत प्रकरण में संदर्भित पत्र से 8 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है, जिसके संदर्भ में आवेदक विभाग द्वारा 8 बिन्दुओं की जानकारी बिन्दुवार प्रेषित की गई है एवं बिन्दु क्रमांक 5 के तारतम्य में जानकारी निम्नानुसार है –

S.N.	Query	Reply
5	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted / uploaded.	प्रस्तावित मार्ग हर्रई – बिजोरी मार्ग (राज्य मार्ग क्रमांक 41) कुल लम्बाई 72.73 कि.मी. है। पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल के अंतर्गत वनक्षेत्र 6.192 है। मार्ग उन्नयन चौड़ीकरण में प्रभावित हो रहा है यह मार्ग पूर्व से पी.डब्लू.डी. मार्ग है। जो छिंदवाड़ा जिले के पर्यटन स्थल पातालकोट एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके अतिरिक्त मार्ग निर्माण का कोई अन्य विकल्प नहीं है। उपरोक्त कारण को दृष्टिगत रखते हुये वनमंडल के वन क्षेत्र में मार्ग की कुल लम्बाई 6880 मीटर एवं

S.N.	Query	Reply
		9 मीटर चौड़ाई रकबा 6.192 हे. में मार्ग उन्नयन कार्य हेतु अनुशंसा की जाती है।

अतः आवेदक विभाग द्वारा प्रेषित 8 बिन्दुओं की जानकारी पत्र के संलग्न सादर संप्रेषित है।

संलग्न — उपरोक्तानुसार।

(ब्रिजेन्ड्र श्रीवास्तव) भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

पृष्ठा.क्रमांक/तकनीकी/2023/223

छिंदवाड़ा, दिनांक/ 16-11-23

प्रतिलिपि :— 01 वन संरक्षक छिंदवाड़ा वन वृत्त की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

02 संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा



# म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

कार्यालय - संभागीय प्रबंधक

व्ही.आई.पी. (सरकुलर) रोड, फॉरेस्ट कॉलोनी  
छिंदवाड़ा (म.प्र.) पिन 480001, फोन नं. 07162-292624

Email:- dim-chhindwara@mp.gov.in

CIN: U45203MP2004SG016758

पत्र क्र. 301 ए.डी.बी.-6/एमपीआरडीसी/2023

छिंदवाड़ा, दिनांक 19/07/2023

प्रति,

- ✓ वनमण्डलाधिकारी,
- ✓ पूर्व/पश्चिम क्षेत्र (सामान्य) वनमण्डल,
- छिंदवाड़ा (म.प्र.)

*भा० प०*  
*D.F.O.  
East.Cwa.Dr.  
W/2023*

विषय:- छिंदवाड़ा जिले में ए.डी.बी.-6/7 योजना के अंतर्गत हर्टइ-बिजोरी मार्ग (याज्य राजमार्ग क्रमांक-41) कुल लंबाई-72.73 किमी. के उन्नयन/निर्माण हेतु कार्य में प्रयुक्त होने वाली 6.372 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र. सड़क विकास निगम को देने बाबत। (ऑनलाइन प्रकरण क्र. FP/MP/ROAD/124534/2021)।

संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्र./मा.चि./2023/1450 छिंदवाड़ा दिनांक 13/07/2023।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्र./एफ5/1140/2022/10-11/3104 दिनांक 12/07/2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने विषयांतकित प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 8 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है, जिसके अन्तर्गत विभाग से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

S.N.	Query	Reply
1.	Administrative approval of the project shall be submitted.	Administrative approval letter (Copy Attached)
2.	Some part of forest area are not demarcated in KML file. The needs rectification clarification.	Uploaded
3.	When was the road constructed? Documentary evidence of existence of the prior to 1980 shall be submitted.	Documentary evidence of existence of road prior to 1980 is attached.
4.	Full KML file of layout plan of forest area and non-forest area (full project KML file) shall be submitted / uploaded.	Uploaded
5.	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/ uploaded.	वन विभाग से संबंधित।
6.	No objection certificates of concerned department (Railway. WRD. TI. Etc.) Shall be submitted.	As there is no Railway line and transmission line between Harrai to Bijori Road and no WRD projects therefore NOC is not required.



# म.प्र. रोड डेक्ललपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

कार्यालय - संभागीय प्रबंधक

व्ही.आई.पी. (सरकुलर) रोड, फॉरेस्ट कॉलोनी

छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन 480001, फोन नं. 07162-292624

Email:- dm-chhindwara@mp.gov.in

CIN: U45203MP2004SG01675

S.N.	Query	Reply
7.	Detailed muck calculation and disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	$2 \times 6.37 \times 1000 \times (4.15 + 3.15) / 2 \times 0.50 = 23250 \text{ Cum}$ परियोजना अंतर्गत वन भूमि में खुदाई से निकलने वाली उपयोगी मिट्टी का उपयोग Embankment बनाने में किया जायेगा तथा अनुपयोगी मिट्टी को सड़क के किराने निचले भाग में समतलीकरण में उपयोग किया जायेगा।
8.	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan is shall be submitted.	ऑनलाइन आवेदन के बिन्दु क्र. B-2.4 में जानकारी दी गई है। चाही गई वन भूमि मार्ग उन्नयन/निर्माण हेतु ही है।

कृपया प्रकरण में भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

Dr. Geem

संभागीय प्रबंधक

म.प्र.सड़क विकास निगम

छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

छिन्दवाड़ा, दिनांक

/ 12/2023

पृष्ठा. क्र.

/ए.डी.बी.-6/एमपीआरडीसी/2023

प्रतिलिपि:-

- मुख्य अभियंता (एडीबी-6), म.प्र.सड़क विकास निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- पर्यावरण सुरक्षा विशेषज्ञ, म.प्र.सड़क विकास निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

— हुला —  
संभागीय प्रबंधक

वित्त क्रमांक

मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ- 28/03/2018/19/यो 1869

भोपाल दिनांक ५/०५/२०१८

प्रति,

प्रबंध संचालक

म.प्र. सड़क विकास निगम  
45 -ए अरेरा हिल्स भोपाल

**विषय:-** एशियन विकास बैंक की सहायता से राज्य के राजमार्गों के उन्नयन हेतु परियोजना "Madhya Pradesh Road Development Programme-“VI & VII” की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।

**संदर्भ:-** आपकी टीप क्रमांक 3278/पी.ए./एम.डी.एम.आर.डी.सी/2017 दिनांक 08-12-2017

-०-

राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्री परिषद् आदेश दिनांक 23.04.2018 के परिपालन में एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित मार्गों के उन्नयन हेतु प्रस्तावित परियोजना "Madhya Pradesh Road Development Programme-“VI & VII” अंतर्गत नवीन राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन कार्य मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संपादित कराये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

1) **Madhya Pradesh Road Development Programme-“VI & VII” में संलग्न परिशिष्ट-**

01 के अनुसार 3852.92 कि.मी. लम्बाई के 101 मार्गों के उन्नयन कार्य हेतु रु. 6156 करोड़ (950 यू.एस. डॉलर, 70 प्रतिशत एशियन विकास बैंक का ऋण तथा 30 प्रतिशत राज्य शासन का भाग) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**Madhya Pradesh Road Development Programme-VII** का क्रियान्वयन वर्ष

2019-20 से प्रारंभ किया जावे। परिशिष्ट-01 में सम्मिलित मार्ग कालांतर में किसी

अन्य योजना में विकसित हो जाने की स्थिति में उस मार्ग के स्थान पर कुल परियोजना लागत के अधीन वित्त विभाग के अनुमोदन उपरान्त अन्य सड़क मार्ग


का चयन प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जावेगा।



- 2) प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एशियन विकास बैंक से परियोजना लागत की 20 प्रतिशत तक राशि की स्वीकृति Retroactive आधार पर दी जावेगी।

सहपत्र:- परिशिष्ट-01

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

 ५.५.१८  
(आर.के. मेरारा)

सचिव


म.प्र. शासन, लो.नि.वि.  
भोपाल दिनांक ५/०५/२०१८

पृ क्रमांक एफ-28/03/2018/19/यो १८७०

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
- 2 निज सचिव, मान. मंत्री जी लोक निर्माण विभाग भोपाल।  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र:- 0

 ५.५.१८  
सचिव  
म.प्र. शासन, लो.नि.वि.

सं. क्र.	मार्ग का नाम	जिला	लंबाई (कि.मी.)	मार्ग श्रेणी	प्रस्तावित कार्य	अनुमानित लागत (करोड में)
24	गुजरात सीमा - खेड़ा - कट्टीवाड़ा - भाभरा - उदयगढ़ - बोरी - टाँडा - बलवाड़ी - गंधवानी - डेहरी - मनावर - खलघाट - महेश्वर - बड़वाह कुल लंबाई = 261.00 कि.मी.	धार, अलीरा जपुर	116.45	नवीन राज्य राजमार्ग	कुल लंबाई 261.00 कि.मी. मे से 116.45 कि.मी. का टू-लेन में चौड़ीकरण	349.35
25	हरई - बटकाखण - बिजौरी - तामिया - जुन्नारदेव - नीमढाना - बोरदेही - खेड़ी - मुलताई - आठनेर - गुदगाँव - चिल्कापुर - भैसदेही - कुकरखामला - महाराष्ट्र सीमा कुल लंबाई = 283.00 कि. मी.	बैतूल	171.40	नवीन राज्य राजमार्ग	कुल लंबाई 283.00 कि.मी. मे से 171.40 कि.मी. का टू-लेन में चौड़ीकरण	514.20
26	बंडोल जोड़ - कुण्डा - थावरी - चौरई - चाँद - बिछुआ - खमारपानी - सावरनी - लोधीखेड़ा - तिनखेड़ा - साँईखेड़ा - महाराष्ट्र सीमा कुल लंबाई = 160.00 कि.मी.	छिंदवा डा	96.50	नवीन राज्य राजमार्ग	कुल लंबाई 160.00 कि.मी. मे से 96.50 कि.मी. का टू-लेन में चौड़ीकरण	289.50
27	छत्तीसगढ़ सीमा - सालेटेकरी - विरसा - मोहगाँव - बैहर - परसवाड़ा - लामता - समनापुर - लालबर्रा - वारासिवनी - रामपायली - गर्गचौकी - (लामता - समनापुर रा.रा. लंबाई 24 कि. मी. छोड़कर) कुल लंबाई = 172.00 कि. मी.	बालाघ ट	52.20	नवीन राज्य राजमार्ग	कुल लंबाई 172.00 कि.मी. मे से 52.20 कि.मी. का टू-लेन में चौड़ीकरण	156.60
28	समनापुर-गाड़ासरई मार्ग कुल लंबाई 22. 50 कि.मी.	डिण्डो री	22.50	नवीन राज्य राजमार्ग	कुल लंबाई 22.50 कि.मी. मे से 22.50 कि.मी. का टू-लेन में चौड़ीकरण	67.50
29	भद्रभदा से बिलकिसगंज मार्ग, कुल लंबाई = 13.00 कि.मी.	भोपाल	13.00	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग	कुल लंबाई 13.00 कि.मी. मे इण्टरमीडिएट लेन में चौड़ीकरण / पुनर्निर्माण	22.75
30	कोलार मार्ग कुल लंबाई = 32.00 कि.मी.	भोपाल	14.00	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग	कुल लंबाई 32.00 कि.मी. मे से 14.00 कि.मी. का इण्टरमीडिएट लेन में चौड़ीकरण / पुनर्निर्माण	24.50

बिल्कुल ३

कार्यालय कार्यपालन यंत्री,  
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाडा  
email :- eepwd1chhind@mp.nic.in

क्रमांक / ३७४१ / त.शा. / एम.पी.आर.डी.सी-८

छिन्दवाडा,

दिनांक १४/०८/२३

प्रति,

संभागीय प्रबंधक,  
म.प्र.सड़क विकास निगम लिमिटेड  
भोपाल (म.प्र.)

विषय : छिन्दवाडा जिले में ए.डी.बी. - ६/७ योजना के अंतर्गत हरई बिजोरी मार्ग (राज्य मार्ग कं. 41) के संबंध में।

संदर्भ : आपका पत्र कं. 289 / ए.डी.बी.-०६ / एम.पी.आर.डी.सी / 2023 छिन्दवाडा  
दिनांक 13.07.2023

—: ००० :—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि इस कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार हरई बिजोरी मार्ग पर विभागीय कब्जा दिनांक 21.08.1978 के पूर्व से होना पाया गया है। (दरतावेजों की छायप्रति संलग्न है)

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार

कार्यपालन यंत्री  
लोक निर्माण विभाग संभाग  
छिन्दवाडा

मुक्तिपत्र सुआधार की ग्राहन पानी

| प्राप्ति अधिकारी<br>की नंबर वार्ष. |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2                                  | 3                                  | 4                                  | 5                                  | 6                                  |
| गोपनीया                            | 72-73                              | 16.040                             | 40,272                             | 24,200                             |
| वाला उपाधीनी                       | 81-82                              | 12.670                             | 1,02,429                           | 94,269                             |
| ठाकुर जीवानी                       | 81-82                              | 23.602                             | 12,908                             | 2,167                              |
| ठाकुरी शहीदापा                     | 77-78                              | 4.344                              | 26,058                             | 24,423                             |
| गोपनीया                            | 83-84                              | 3.034                              | 1,22,143                           | 1,00,802                           |
| ठाकुर उपाधीना                      | 63-64                              | 40.111                             | 7,19,135                           | 5,75,809                           |
| गोपनीया उपाधीना                    | 80-81                              | 4.990                              | 2,96,813                           | 1,41                               |
| मीठन उपाधीन                        | -                                  | 0.437                              | 2,241                              | 2,46,998                           |
| गोपनीया उपाधीना                    | 71-72                              | 12.920                             | 1,42,046                           | 1,37,559                           |
| मीठन उपाधीन                        | 80-81                              | 16.275                             | 1,51,013                           | 1,46,411                           |
| गोपनीया उपाधीन                     | 80-81                              | 27.373                             | 2,81,514                           | 2,60,414                           |
| गोपनीया उपाधीन                     | 81-82                              | 2.045                              | 47.606                             | 46,600                             |
| गोपनीया उपाधीन                     | 64-65                              | 4.342                              | 72,649                             | 70,185                             |
| गोपनीया उपाधीन                     | 70-71                              | 5.545                              | 30,134                             | 28,270                             |
| गोपनीया उपाधीन                     | 62-63                              | 30.375                             | 3,23,560                           | 2,93,765                           |
| गोपनीया उपाधीन                     | 61-62                              | 3.940                              | 74,516                             | 58,045                             |
| गोपनीया उपाधीन                     | -                                  | 3.252                              | 36,003                             | 34,000                             |
| गोपनीया उपाधीन                     | 77-78                              | 3.269                              | 31,477                             | 15,978                             |
| गोपनीया उपाधीन                     | 80-81                              | 1.052                              | 56,891                             | 50,650                             |
| गोपनीया उपाधीन                     | 71-72                              | 0.406                              | 44,895                             | 44,895                             |
| गोपनीया उपाधीन                     | -                                  | 49,050                             | 3,34,241                           | 2,98,065                           |
| गोपनीया उपाधीन                     | -                                  | 0.245                              | 17                                 | 10,000                             |
| गोपनीया उपाधीन                     | 81-82                              | 4.570                              | 61                                 | 35,39                              |
| गोपनीया उपाधीन                     | 82-83                              | 2.997                              | 43                                 | 40,1                               |
| गोपनीया उपाधीन                     | 73-74                              | 1.440                              | 2                                  | 91                                 |
| गोपनीया उपाधीन                     | 73-74                              | 4.074                              | 1.319                              |                                    |
| गोपनीया उपाधीन                     | 81-82                              | 5.263                              |                                    |                                    |

